

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क्र० 320/2013 अ०फौ०

संस्थिति दिनांक 01.10.2013

बृजेश उर्फ छोटू पुत्र अजमेरसिंह जाटव उम्र 36
वर्ष, निवासी पुराना घनश्यामपुरा, वार्ड क्र. 1
गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.।

.....अपीलार्थी/आरोपी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी गोहद चौराहा
जिला भिण्ड म०प्र०।प्रत्यर्थी

अपीलार्थी द्वारा श्री एन०एस०तोमर अधिवक्ता एवं एन.एस.तोमर
प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

// निर्णय //

(आज दिनांक 19-08-2015 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी- श्री केशवसिंह के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 842/2007 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा वि० बृजेश में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 06.09.2013 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को धारा 279, 337, 338, 304ए भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए क्रमशः 06 माह, 03 माह, 06 माह एवं 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास एवं 100/- रूपए, 100/- रूपए, 200/- रूपए व 500/- के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने एवं अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में क्रमशः 02 माह, 01 माह, 02 माह एवं 06 माह का साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 15.11.07 को भूपेन्द्रसिंह कुशवाह ने थाना गोहद चौराहा पर रिपोर्ट की, कि वह ग्वालियर से बस क्रमांक एम.पी. 06बी 2676 में बैठकर भिण्ड आ रहा था। बस का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। जैसे ही बस ग्राम बूटी कुईया के पास आई तो

मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.ए. 4061 पर दो व्यक्ति बैठकर आ रहे थे बस चालक के द्वारा बस को उक्त अनुसार चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर बस पलटा दी, जिससे उसके शरीर में चोटें आई एवं बस में बैठी अन्य सवारियों को भी चोटें आई तथा मोटरसाइकिल पर बैठे प्रहलाद जाटव व सुनील उर्फ कालू कौरव को भी चोटें। उक्त दोनों लोगों को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दोनों की मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहे पर अपराध क्रमांक 186/07 धारा 279, 337, 304ए भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। आहतों का मेडीकल परीक्षण कराया गया। मृतको के शव का शवपरीक्षण करवाया गया एवं घटना का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं प्रश्नाधीन बस क्रमांक एम.पी. 06बी 2676 का जप्त किया गया एवं उक्त बस से संबंधित कागजों की छायाप्रति जिसमें रजिस्ट्रेशन, फिटनेश, बीमा, अनुबंधपत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस जप्त किये गए। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 279, 337, 338, 304ए भा0दं0वि0 के संबंध में अपराध की विशिष्टियाँ तैयार कर उसे पढकर सुनाई समझाई गई आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 06.09.2013 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दण्डित किया गया।

05. अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं रिकार्ड पर आई साक्ष्य के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाष एवं बिसंगतियाँ आई है एवं उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन भी नहीं किया गया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दुर्घटना में घायल एवं मृत व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए दोषसिद्ध दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें हस्तक्षेप करने अथवा फेरबदल करने का आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है

कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 06.09.2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार:-::

08. डॉ० जी.आर.शाक्य अ०सा० 5 के अनुसार दिनांक 15.11.2007 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान उन्होंने मृतक कालू उर्फ बंटी कौरव तथा मृतक प्रहलाद जाटव का शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण के दौरान मृतक कालू उर्फ बंटी कौरव का शव चित लेटा हुआ था, शरीर पर कथई कलर का जैकेट एवं स्लेटी कलर का पजामा था। मृतक के दाहिने चेहरे पर बहुत सारे नील के निशान थे जो लाल रंग की थी एवं दाएं तरफ पेट के उपर लाल कलर की नील की चोट थी जिसका आकार 6 गुणा 4 से.मी. था एवं दाहिनी छाती की तीन पसलियाँ टूटी हुई पाई गई थी। आहत को आई हुई उक्त चोटें मृत्यु के पूर्व की थी। **आंतरिक परीक्षण—** पेट पूरा खून से भरा हुआ था, लीवर फट गया था, शरीर के आंतरिक अंग हल्के पीले पड़ गए थे, हृदय खाली था, पेट में अधपचा खाना था, बड़ी आंत में मल पाया गया था एवं मृत्राशय की थैली खाली थी। उक्त साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में मृतक की मृत्यु शॉक से हुई है जिसका कारण पेट में खून के ज्यादा रिसव और लीवर फट जाने से हुई जिसकी समय अवधि 6 घण्टे के अंदर की थी।

09. उक्त साक्षी के द्वारा उसी दिनांक को उक्त साक्षी के द्वारा मृतक प्रहलाद का शव परीक्षण किया था। **वाह्य परीक्षण—** मृतक का शरीर चित लेटा हुआ था, उसके शरीर पर सफेद शर्ट व पजामा था। शरीर पर अकडन नहीं आई थी। मृतक के सर का पिछला हिस्सा हड्डी टूटकर कुचल गया था, माथे पर एक फटा हुआ घाँव एवं आगे की हड्डी टूटी हुई थी जिसका आकार 5 गुणा 2 से.मी. हड्डी तक गहरा था एवं दायां घुटना कुचल गया था। **आंतरिक परीक्षण—** मृतक के शरीर के आगे व पीछे की हड्डी टूटी हुई थी एवं सर के अंदर खून भरा हुआ था। दिमाग का अगला एवं पिछला हिस्सा फट गया था, शरीर के आंतरिक अंग कंजस्टेड थे, पेट में थोड़ा अधपचा खाना था एवं बड़ी आंत में मल पाया गया था। साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया गया है कि मृतक की मृत्यु कोमा में जाने से हुई है जिसका कारण सर में चोट लगना है। जिसकी समय अवधि 6 घण्टे के अंदर की रही थी, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आहत सुरेश वांदिल का मेडीकल परीक्षण किया था जिसका बायाँ पैर एवं बायाँ घुटना

कुचला हुआ था। उक्त दोनों चोटें ताजा थी एवं आहत को हड्डी रोड विशेषज्ञ ग्वालियर भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी के द्वारा आहत अशोक सिंह का मेडीकल परीक्षण किया था जिसकी वाई जांच कुचली हुई थी एवं दांये पेर के पिछले हिस्से में एक फटा हुआ चोट का निशान था जो कि मांस तक गहरा था। उक्त आहत को भी हड्डी रोग विशेषज्ञ ग्वालियर के लिए भेजा गया था। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के द्वारा उक्त दिनांक को ही आहत हरिमरदनसिंह का भी मेडीकल परीक्षण किया था जिसके वांए अण्डकोष पर एक फटा हुआ घाँव जिसका अंडकोष फटकर बाहर आ गया था। उक्त आहत को भी ग्वालियर रिफर किया गया था। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी के द्वारा आहत भूपेन्द्र सिंह का मेडीकल परीक्षण किया था जिसके वांए कंधे पर एक लाल रंग की चोट थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. उक्त साक्षी के अनुसार दिनांक 15.11.07 को आहत विनोद का मेडीकल परीक्षण किया था जिसकी वाई कलाई में कम्पाउण्डर फ्रैक्चर था जिसमें हड्डी दिख रही थी एवं आहत के दोनों पेर कुचले हुए थे एवं दाहिनी जॉघ टूटकर मुड़ गई थी। उक्त आहत को हड्डी रोग विभाग ग्वालियर के लिए रिफर किया गया था। रिपोर्ट प्र.पी. 15 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 19.11.2007 को आहत कालीचरण शर्मा का मेडीकल परीक्षण उसके द्वारा किया था। आहत वाई छाती में दर्द बता रहा था, सर के वाई तरफ फटा हुआ घाँव था जो कि भरने की स्थिति में था। रिपोर्ट प्र.पी. 14 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं आहत कालीचरण शर्मा का एक्सरे भी किया था जिसकी वाई छाती में तीन पसलियाँ टूटी हुई पाई गई थी।

12. इस प्रकार साक्षी डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ0सा0 5 के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत अशोक, भूपेन्द्रसिंह, कालीचरण शर्मा, विनोद, हरिमर्दन एवं सुरेश को चोटें पाई गई थी और आहत कालीचरण शर्मा को एक्सरे परीक्षण में उसे अस्थिभंग होना पाया गया था। इसके अतिरिक्त कालू उर्फ बंटी एवं प्रहलाद के शव का परीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है जिनके शव परीक्षण रिपोर्ट में भी शरीर में आई हुई चोटों के कारण कोमा में जाने से उनकी मृत्यु हो जानी बताई है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा ही बस क्रमांक एम.पी. 06बी. 1676 चलाई जा रही थी? क्या आवेदक के द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की गई जिसमें कि उक्त मृतकों की मृत्यु हुई और अन्य आहतों को उपहतियाँ कारित हुई?

13. घटना के फरियादी भूपेन्द्रसिंह अ0सा0 2 ने अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 15.11.

07 को बस से ग्वालियर से भिण्ड को जाते समय दिन के साढ़े तीन पौने चार बजे जैसे ही बस बूटी कुईया के पास पहुँची अचानक से बस बहककर पलट गई। बस के पलटने से उसके बाएँ कंधे में चोट आई थी, बस में काफी सबारियाँ थी उन्हें भी चोटें आई थी। दुर्घटना के 15-20 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आई थी वह उन्हें लेकर गोहद अस्पताल गई थी। दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के संबंध में पता चला था। घटना की रिपोर्ट लिखाई गई जो प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सफीनाफार्म प्र.पी. 3 एवं लाश पंचायतनामा बनाया गया था जो प्र.पी. 4 है जिस पर भी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के द्वारा आरोपी की कोई पहचान नहीं की गई है और न ही उसके द्वारा बस को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाई जाने के संबंध में कोई भी बता बताई गई है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सूचक प्रश्नों के दौरान इस बात की जानकारी होना बताया है कि घटना दिनांक को हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल जिस पर दो व्यक्ति सवार थे और जिन्हें बस चालक ने बचाना चाहा और इस सुझाव से इंकार किया है कि बस चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से बस चलाई जा रही थी।

14. घटना दिनांक को दुर्घटना कारित करने वाली बस और उसके चालक का जहाँ तक प्रश्न है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 में स्पष्ट रूप से दुर्घटना बस क्रमांक एम.पी. 06 बी 2676 के चालक के द्वारा घटित की जानी बताई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनाकर्ता भूपेन्द्र सिंह अ0सा0 2 के द्वारा प्रमाणित की गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक आशीष पवार अ0सा0 7 के द्वारा भी बस क्रमांक एम.पी. 06 बी 2676 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 की लेखबद्ध करना बताया गया है। घटना में आहतगण विजय द्विवेदी अ0सा0 3 तथा कालीचरण अ0सा0 6 जो कि दोनों दुर्घटना कारित करने वाली बस में बैठे थे उनके द्वारा भी बस क्रमांक एम.पी. 06 बी 2676 के द्वारा दुर्घटना कारित करने के संबंध में बताया है।

15. उपरोक्त बस को घटना के समय चालक का जहाँ तक प्रश्न है, यद्यपि फरियादी भूपेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा0 2 बस ड्राइवर को न देख पाना बताया है तथा अन्य साक्षी अशोक सिंह भदौरिया अ0सा0 4 के द्वारा भी बस ड्राइवर को न देख पाना बताया है और साक्षी कालीचरण शर्मा बस ड्राइवर का नाम न बता पाना अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है, किन्तु इस संबंध में अभियोजन साक्षी राजाराम जो कि घटना का आहत है के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से आरोपी की पहचान करते हुये यह बताया गया है कि घटना दिनांक को आरोपी ही दुर्घटना कारित करने वाली बस को चला रहा था। उक्त साक्षी के द्वारा पुलिस कथन का समुचित रूप से समर्थन न करने के कारण उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

16. पक्षद्रोही साक्षी के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। मात्र इस आधार पर कि साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है उसका सम्पूर्ण कथन दरकिनार नहीं किया जा सकता। जैसा

कि इस संबंध में सतपालसिंह वि० दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 294, खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी वि० स्टेट ऑफ़ एम. पी. ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1853, तुफानसिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. (2005) 1 एम.पी.एल.जे. 412 में यह अभिधारित किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य को पूरी तरह डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। मात्र इस आधार पर कि वह पक्षद्रोही हुआ है उसकी पूरी साक्ष्य निरर्थक नहीं होती है। यदि उसके साक्ष्य का कुछ भाग अभियोजन मामले का समर्थन करता है और वह भाग सही पाया जाता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है।

17. इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के द्वारा साक्षी को पूछे जाने पर साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वह बृजेश को जानता है और बस को बृजेश ही चला रहा था। निश्चित तौर से प्रतिपरीक्षण में आए हुए उक्त कथन उसके मुख्य परीक्षण में किया गये कथन को पूर्णतः सम्पुष्ट करता है और आरोपी बृजेश को जानना और बस को आरोपी बृजेश ही चला रहा था यह घटना के आहत साक्षी राजाराम अ०सा० 1 के कथन से भली-भाँति प्रमाणित होता है।

18. उपरोक्त संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी के द्वारा घटना के अन्य फरियादी अशोक सिंह भदौरिया के साथ राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया है जो कि राजीनामा की अनुमति न्यायालय के द्वारा देते हुए दिनांक 09.04.13 को आहत अशोक सिंह भदौरिया के संबंध में राजीनामा स्वीकार किया गया है। उक्त तथ्य भी इस बात को पुष्ट करता है कि घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित करने वाली बस को चलाया जा रहा था।

19. तदनुसार घटना दिनांक को दुर्घटना कारित करने वाली बस क्रमांक एम.पी. 06 बी 2676 आरोपी बृजेश उर्फ छोटू के द्वारा चलाया जा रहा था यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

20. घटना दिनांक को दुर्घटना कारित करने वाली बस को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित करने का जहाँ तक प्रश्न है। इस बिन्दु पर घटना के फरियादी भूपेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिन के साढ़े तीन पौने चार बजे जैसे ही बस बूटी कुईया के पास पहुँची और अचानक बहक गई और पलट गई। वह यह नहीं देख पाया कि बस अचानक किस बजह से पलटी थी। बस की गति सामान्य होना वह बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस संबंध में साक्षी राजाराम अ०सा० 1 के द्वारा बूटी कुईया के पास गोहद की तरफ से मोटरसाइकिलों का आना तथा मोटरसाइकिल बस से टकरा जाने और बस चालक के द्वारा ब्रेक लगाने से गाड़ी

पलट जाना बताया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके द्वारा इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इसी प्रकार अशोक सिंह भदौरिया के द्वारा भी बस के अचानक पलट जाने के बारे में बताया गया है, उसे भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

21. उपरोक्त संबंध में अभियोजन साक्षी विजय द्विवेदी अ0सा0 3 जो कि बस में बेठी सवारी थी और घटना में आहत भी है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि घटना दिनांक को जैसे ही बस बूटी कुईया के पास पहुँची बस चालक के द्वारा तेजी और लापरवाही से बस को चलाया जा रहा था और उसके द्वारा इस प्रकार बस चलाए जाने से बस पलट गई जिसमें 2-3 लोग मरे थे और उसे भी चोटें आई थी। बस चालक को कहे जाने के उपरांत भी उसके द्वारा बस को इस प्रकार पलट दिया गया था। इस संबंध में उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्विक प्रकार का विरोधाभास या बिसंगति या लोप आना दर्शित नहीं होता जिससे कि उसकी विश्वसनियता प्रभावित होती हो। उसे पुलिस कथन प्र.डी.1 में बस को ड्राइवर से धीमे चलाने के लिए कहे जाने वाली बात लिखवा देने के संबंध में पूछा गया है जो कि उसने पुलिस को लिखवा देना बताया है। यद्यपि उक्त बात पुलिस कथन प्र.डी. 1 में नहीं है, किन्तु इस प्रकार का कोई लोप तात्विक प्रकार का होना नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर से साक्षी जो कि घटना के समय बस में बैठा था और घायल भी हुआ है उसके द्वारा आरोपी को किसी रंजिश के कारण घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो या वह किसी प्रकार से हितबद्ध होकर कथन कर रहा हो ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है।

22. साक्षी विजय द्विवेदी अ0सा0 3 के द्वारा इस संबंध में किये गये कथन की पुष्टि साक्षी कालीचरन शर्मा अ0सा0 6 रिटायर्ड ए.एस.आई के कथन से भी होती है जो कि घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाली बस में सवारी के रूप में था और घटना में घायल हुआ है, उनके द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना दिनांक को बस का ड्राइवर बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था और बूटी कुईया के पास करीब 02:30 बजे उसने मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.ए. 4081 को टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति बैठे थे और दोनों की मृत्यु हो गई, फिर उस ड्राइवर ने बस को लापरवाही से चलाया और बस पलट गई जिससे उसे भी चोटें आई। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य आया है कि उसने बस चालक को कहा था कि बस धीरे से चलाओ। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह गलत वयान दे रहा है। इस प्रकार उक्त साक्षी जो कि घटना का आहत है के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी विरोधाभास, बिसंगति आना दर्शित नहीं होता है। उक्त साक्षी के द्वारा भी आरोपी से किसी रंजिश के कारण उसके विरुद्ध कथन किये जा रहे हो अथवा उसे झूठा लिप्त किया गया हो ऐसा भी मानने का कोई आधार या कारण दर्शित नहीं

होता है। उक्त साक्षी इस बिन्दु पर पूर्णतः विश्वसनीय पाया जाता है।

23. इस प्रकार इस बिन्दु पर यद्यपि घटना की रिपोर्टकर्ता भूपेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 2, राजाराम अ०सा० 1 एवं अशोकसिंह भदौरिया अ०सा० 4 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है। किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण के द्वारा बस के चालक के द्वारा बस को उतावलेपन और उपेक्षा पूर्वक चलाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। जबकि घटना के आहत साक्षीगण विजय द्विवेदी अ०सा० 3 तथा कालीचरण शर्मा अ०सा० 6 के कथनों से स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को बस चालक के द्वारा बस को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाया गया और उसे इस संबंध में कहा जाने के उपरांत भी उसके द्वारा बस को सावधानी से नहीं चलाया गया। साक्षीगण विजय द्विवेदी अ०सा० 3 और कालीचरण अ०सा० 6 के इस संबंध में किए गए कथनों में उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत अविश्वास करने का कोई भी कारण या आधार परिलक्षित नहीं होता है।

24. निश्चित तौर से उक्त दोनों साक्षीगण जो कि घटना में आहत भी हैं के कथनों के आधार पर स्पष्ट तौर से घटना दिनांक को बस चालक के द्वारा उतावलेपन और उपेक्षा पूर्वक बस चलाने से दुर्घटना घटित हुई जिसमें कि मोटरसाइकिल में बैठे लोगों एवं बस की सवारियों को चोटें आना और मृत्यु हो जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। इस संबंध में **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह वि० स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जबतक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो और उसके साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी न हो। इसी प्रकार **अब्दुल सईय्यद वि० स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश(2010)10 एस.सी.सी. 259** में भी आहत साक्षी के साक्ष्य को विशेष स्तर होना तथा उसके असली अपराध को बचाकर किसी अन्य को असत्य रूप से लिप्त किये जाने की संभावना कम रहती है इस आधार पर उस पर विश्वास किया जा सकता है।

25. साक्षियों की संख्या का जहाँ तक प्रश्न है। दांडिक मामलों में साक्षियों के संख्या पर विचार नहीं किया जाता है। किसी मामले में किसी तथ्य को सावित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित होती है, अपितु साक्षियों की गुणवक्ता देखी जाती है और यदि एक मात्र साक्षी भी विश्वास योग्य पाया जाता है तो उस पर दोषसिद्ध ठहराई जा सकती है, जैसा कि इस संबंध में **जोसेफ वि० स्टेट ऑफ केरल(2003)1 एस.सी. 465** में प्रतिपादित किया गया है।

26. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी के द्वारा घटना के आहत

अशोकसिंह भदौरिया के साथ राजीनामा पेश किया गया है जो कि राजीनामा के आधार पर आरोपी को आहत अशोकसिंह की उपहति के संबंध में न्यायालय के द्वारा राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया गया है। आरोपी के द्वारा एक आहत के साथ राजीनामा करने का तथ्य भी इस घटनाक्रम की पुष्टि करता है।

27. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जो कि इस तथ्य का प्रतिखण्डन करे कि घटना दिनांक को दुर्घटना कारित करने वाली बस आरोपी के द्वारा नहीं चलाई जा रही थी अथवा बस को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक ठंग से आरोपी नहीं चला रहा था। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रमाणित किया गया तथ्य बचाव पक्ष के द्वारा किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं किया गया है।

28. बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि दुर्घटना हाईवे रोड पर अचानक घटित हुई हो जो कि मोटरसाइकिल चालक के द्वारा बस के सामने अचानक आ जाने से दुर्घटना घटित होनी बताई गई है। ऐसी दशा में बस चालक की लापरवाही अभिनिर्धारित नहीं की जा सकती। इस बिन्दु पर **अमरसिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. बगैरह 2005(3)एम.पी.एल.जे. 576** पेश किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रकरण जो कि रिवीजन प्रकरण है में रिवीजन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि जब कोई व्यक्ति अचानक रोड पर आकर रोड क्रॉस करता है और बस चालक का ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं जा सकता तो ऐसी दशा में बस चालक के लापरवाही नहीं मानी जा सकती, किन्तु वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। वर्तमान प्रकरण में हाईवे पर मोटरसाइकिल आ रही थी और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है कि मोटरसाइकिल वाले के द्वारा अचानक मोटरसाइकिल को मोड़ा गया हो अथवा गलत दिशा में ले जाया गया हो, बल्कि बस चालक के द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने और बस को पलट देना जो कि बस के अनियंत्रित होने से ही संभव है। ऐसी दशा में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को लागू करते हुए बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

29. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रकरण को संदेह से परे सिद्ध मानते हुए कि उसके द्वारा दिनांक 15.11.2007 को दिन के 02 बजे करीब भिण्ड ग्वालियर आम रोड बूटी कुईया के पास वाहन बस क्रमांक एम.पी. 06 बी. 2676 को उतावलेपन अथवा उपेक्षा पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत विजय द्विवेदी, राजाराम, भूपेन्द्र एवं अरिमर्दन को उपहति कारित की एवं आहत कालीचरन शर्मा को गंभीर उपहति कारित की तथा प्रहलाद जाटव, सुनील, विनोद भदौरिया एवं सुरेश की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है को प्रमाणित मानते हुए आरोपी ब्रजेश उर्फ छोटू को धारा 279, 337, 338, 304ए भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते

हुए दोषसिद्ध ठहराये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभिलेख में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य पर उचित रूप से विचार करते हुए और साक्ष्य का उचित मूल्यांकन कर आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के ठहराई गई दोषसिद्ध की पुष्टि की जाती है।

30. विचारणीय न्यायालय के द्वारा आरोपी बृजेश उर्फ छोटू को धारा 279 भा०दं०वि० के अंतर्गत छः माह का कठोर कारावास एवं 100/- रूपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 337 भा०दं०वि० तीन माह का कठोर कारावास एवं 100/- रूपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 338 भा०दं०वि० के अंतर्गत छः माह का कठोर कारावास एवं 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं धारा 304ए भा०दं०वि० के अपराध हेतु एक वर्ष छः माह के कठोर कारावास एवं 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि आरोपी को दिए गए उपरोक्त दण्डादेश अत्यधिक कठोर हैं। आरोपी सन् 2007 से लगातार न्यायालय में उपस्थिति होकर विचारण का सामना कर रहा है जो कि पर्याप्त दंड हो चुका है। आरोपी को परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने के संबंध में भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। जबकि आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि धारा 279, 337, 338 भा०दं०वि० एवं धारा 304ए भा०दं०वि० के अंतर्गत पृथक पृथक से दण्डादेश पारित किया जाना उचित नहीं है।

31. आरोपी बृजेश उर्फ छोटू के विरुद्ध धारा 304ए भा०दं०वि० सहित उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होना पाया गया है। आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति घटना के तथ्यों, परिस्थितियों एवं आरोपी की उम्र को देखते हुए उसे आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

32. जहाँ तक आरोपी को दिए गए दंड का प्रश्न है। विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को 304ए, 337, 338 भा०दं०वि० के साथ-साथ 279 भा०दं०वि० के अंतर्गत भी पृथक से दण्डादेश से दंडित किया गया है। यद्यपि आरोपी को उक्त सभी धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है। घटना में मृतक एवं अलग अलग आहत होने से धारा 304ए, 337, 338 भा०दं०वि० के अंतर्गत पृथक पृथक दण्डादेश दिया जा सकता है, किन्तु धारा 71 भा०दं०वि० के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में धारा 279 भा०दं०वि० के लिए पृथक से दण्डादेश दिया जाना उचित नहीं है। ऐसी दशा में धारा 279 भा०दं०वि० के अंतर्गत दी गई 06 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं सौ रूपए के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दी गई एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है।

33. आरोपी बृजेश उर्फ छोटू जिसे कि धारा 304ए भा०दं०वि० के अंतर्गत एक वर्ष छः माह के सश्रम कारावास एवं 500/— रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 337, 338 भा०दं०वि० के अंतर्गत तीन माह व छः माह एवं सौ रूपए व दौ सौ रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है। घटना जिसमें कि व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और कई लोगों को उपहति कारित हुई जो कि आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा पूर्वक चलाने के फलस्वरूप घटना घटित होनी प्रमाणित है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304ए भा०दं०वि० जिसमें कि मोटर वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले प्रकरणों में दण्ड कठोर एवं शिक्षाप्रद होना चाहिए और किसी प्रकार की उदारता नहीं बरती जानी चाहिए। जैसा कि इस संबंध में **बी.नागभूषण वि० स्टेट ऑफ कर्नाटका(2008)5 एस.सी.सी. 730** तथा अन्य प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऐसी दशा में घटना की प्रकृति के अनुरूप आरोपी को को उक्त धाराओं के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया दण्डादेश सर्वथा उचित होना पाया जाता है। उक्त दण्डादेश को कम करने का कोई कारण या आधार परिलक्षित नहीं होता है।

34. तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा 279 भा०दं०वि० के अंतर्गत प्रदत्त किए गए छः माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 100/— रूपए के अर्थदण्ड के दण्डादेश को अपास्त किया जाता है, किन्तु धारा 304ए, 337, 338 भा०दं०वि० के अंतर्गत प्रदत्त की गई एक वर्ष छः माह के सश्रम कारावास एवं 500/— रूपए के व तीन माह व छः माह के सश्रम कारावास व सौ रूपए व दौ सौ रूपए के अर्थदण्ड के दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की अपील उक्त परिप्रेक्ष्य में निरस्त की जाती है।

35. जप्तशुदा वाहन के संबंध में अधीनस्थ के द्वारा दिया गया आदेश यथावत रखा जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं। आदेश की एक प्रतिलिपि सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बापस भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड